परिशिष्ट – ''अ''

विधानसभा आतरांकित प्रश्न क्रमांक 21 द्वारा माननीय विधायक श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

स.क्र.	क्या घंटाघर की निचली मंजिल में दुकानदार है ?	क्या नगर पालिका द्वारा उपरी हिस्सा गिराने के कारण बारिश में दुकानों में पानी जाने तथा गिर जाने से जन धन की हानि संभावित है ?	क्या नगर पालिका से घंटाघर की छत मरम्मत की कोई योजना है ?	क्या पुरातत्व विभाग द्वारा उक्त भवन को मरम्मत योग्य बताया था ?	माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में याचिका किसके द्वारा दायर की गई तथा क्या स्थगन के साथ यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया था ?	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	जी हाँ। 51 दुकानदार है।	जी हाँ।	वर्तमान में नगर पालिका द्वारा मरम्मत की कोई योजना नहीं है।	आयुक्त पुरातत्य, अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल के निर्देश दिनांक 20.06.2016 के पालन में तकनीकी सहायक द्वारा मय तकनीकी अमले के दिनांक 21.07.2016 को घंटाघर का निरीक्षण किया गया । पुरातत्व विभाग द्वारा स्थानीय प्रशासन को घंटाघर का जीर्णोद्धार करने का सुझाव दिया गया था।	जी हां। याचिका क्रमांक 2741/2017 – श्री बाबुलाल व अन्य द्वारा एवं याचिका क्रमांक 2967/2017 – श्री अनिल कुमार व अन्य द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं क्रमशः 15.05.2017 एवं 09.05.2017 को पारित निर्णयों में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारां यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया। निर्णय में याचिकाकर्ताओं को किसी भी दुर्घटना के लिए खुद जिम्मेदार होने का उल्लेख किया गया है।	–

मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र उज्जैन